भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 797

जिसका उत्तर 7फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

18 माघ, 1945 (शक)

ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां

797. श्रीमती जसकौर मीना:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की जवाबदेही सुनिश्चित करने और जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग के एक नए युग को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ङ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा सभी डिजिटल नागरिकों के लिए जवाबदेह हो।

इंटरनेट प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को बेहतरी हेतु शक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी का उपयोग उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने और आपराधिकता पैदा करने के लिए भी किया जाने लगा है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या आज के 85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026 तक 120 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ, भारतीयों के लिए ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, सरकार इरादतन सामान्य रूप से इंटरनेट सुनिश्चित करती है और इस पर जानकारी सुरक्षित और विश्वसनीय है और बुरे तत्वोंसे निपटने के लिए निरंतर आधार पर उपयुक्त कदम उठाती है।

ऑनलाइन गेम सामग्री भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मध्यस्थों द्वारा पेश की जाने वाली ऑनलाइन सामग्री की विभिन्न श्रेणियों में से एक है, जो भारत सहित दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है।सरकार ऑनलाइन गेम्स से जुड़े संभावित जोखिमों और अवैधता से अवगत है। ऐसे कई सट्टेबाजी और जुआ एप्लिकेशन हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के रूप में मुखौटा लगाए हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को 23 दिसंबर, 2022 को भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामले आवंटित किए गए थे।

मंत्रालय ने एक पखवाड़े के भीतर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा तैयार किया और 2 जनवरी 2023 को उस पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बच्चों, शिक्षकों, ऑनलाइन गेम के उपयोगकर्ताओं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, अन्य संबंधित मंत्रालयों आदि सहित संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में संशोधन 6 अप्रैल, 2023 को अधिसूचित किए गए थे।

6 अप्रैल, 2023 को अधिसूचित आईटी नियम, 2021 अनुमत ऑनलाइन वास्तविक गेम यानी ऑनलाइन गेम के स्पष्ट ढांचे को स्थापित करते हैं, जिसमें परिणाम पर दांव लगाना, उपयोगकर्ता को नुकसान, गेमिंग की लत आदि शामिल नहीं है, जिसे भारत में इंटरनेट पर अनुमति दी जानी है।
इसके अलावा, आईटी नियम, 2021 मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर नियम 3 (1) (ख) के तहत किसी भी निषिद्ध जानकारी की होस्टिंग, साझाकरण, अपलोडिंग, संचारण आदि की अनुमति नहीं देने के लिए दायित्व डालता है जिसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो एक ऑनलाइन गेम की प्रकृति में है जिसे अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है और जो विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या ऑनलाइन गेम के प्रचार की प्रकृति में है जो अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है, या इस तरह के ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाले किसी भी ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ से संबंधित है।

संशोधित आईटी नियम, 2021 दिनांक 6 अप्रैल, 2023 डिजिटल नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन गेम के संबंध में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यस्थों पर अधिक जवाबदेही लागू करते हैं। संशोधन ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक प्रभाव को रोकने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से सुभेद्धय उपयोगकर्ताओं पर, और कड़े दिशानिर्देशों के माध्यम से जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देते हैं, सुरक्षा और उद्योग की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

6 अप्रैल, 2023 को संशोधित आईटीनियम, 2021 में ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डाले गए हैं, जिनमें ऑनलाइन गेम के संबंध में अन्य मध्यस्थ, सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफॉर्म शामिल हैं, ताकि सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में प्रदान किए गए ऐसे कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत वे अपना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो देंगे और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता सहित किसी भी कानून के अंतर्गत यथा उपबंधित परिणामी कार्रवाई अथवा अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परामर्शी निदेश जारी किया है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचें और भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित न करें अथवा भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापन लक्षित न करें। मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को ऑनलाइन खेलों,

फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन देने के संबंध में एक परामर्शी निदेश भी जारी किया है जिसमें सभी प्रसारकों को यह सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में उनका अनुपालन किया जाए।

विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों के संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस द्वारा की जानी है और संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है। अवैध मामलों पर कार्रवाई के लिए रोकथाम, जांच आदि के लिए राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

भाग (ख) के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार बच्चों के प्रति साइबर अपराध के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले अनुबंध-I में दिए गए हैं । ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए कोई अलग रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

******

अनुबंध-I

वर्ष 2020-2022 के दौरान बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों के लिए ऑनलाइन गेम इत्यादिके माध्यम से इंटरनेट अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वारपंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीसीएस), दोषी मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी व्यक्ति (पीसीवी) (धारा 305 आईपीसी आर/डब्ल्यू आईटी अधिनियम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020						वर्ष 2021						वर्ष 2022					
	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल राज्य	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (अखिल भारतीय)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**

स्रोत: भारत में अपराध

नागालैंड से वर्ष 2022 के लिए स्पष्टीकरण लंबित हैं